Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17– सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग – 95/2019....1315

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
सीतामढ़ी, बांका, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा,
अरवल, जमुई, जहानाबाद, मुगेंर, सुपौल,
किशनगंज, लखीसराय, बेगूसराय एवं पश्चिमी चंपारण।

पटना, दिनांक :– 05-08-19

प्रसंग :– 17– सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग – 95/2019 – 716 दिनांक– 08.05.2019

विषय :– सरकारी/लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, को विशेष सर्वेक्षण शिविर में उपलब्ध करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 के आलोक में विशेष सर्वेक्षण कार्य उपर्युक्त जिले में से नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, किशनगंज, लखीसराय एवं बेगुसराय में प्रारंभ है। शेष जिलों में सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य माह अक्टूबर – नवंबर, 2019 से प्रस्तावित है।

उक्त सर्वेक्षण बंदोबस्ती के क्रम में सरकारी/लोक भूमि के संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को उक्त भूमि की विवरणी उपलब्ध रहे ताकि खानापुरी एवं प्रारूप प्रकाशन के समय से ही सरकारी भूमि की पहचान सुनिश्चित रह सके।

राजस्व विभागीय विभिन्न पत्रों द्वारा सरकारी/लोक भूमि के संरक्षण एवं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निदेश दिये गये है। साथ ही सरकारी भूमि की विवरणी जिला, अनुमंडल, अंचल एवं हल्कावार पंजी में संधारित रखने के संबंध में भी पूर्व में निदेश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि – (1) सरकारी/लोक भूमि यथा गैरमजरूआ आम (अनाबाद सर्वसाधारण), गैरमजरूआ मालिक/खास (अनाबाद बिहार सरकार) खासमहल, भू–दान में अर्जित भूमि, भू–हदबंदी अधिनियम अंतर्गत अर्जित भूमि, कैसरेहिन्द, विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि, केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की भूमि, बोर्ड, निगमों एवं उपक्रमों की भूमि, पंचायती राज एवं नगर निकायों की भूमि, नहर, पाईन, वन एवं सैरात की भूमि सहित अन्य सभी सरकारी भूमि की सूची अबिलम्ब तैयार कर ली जाय।

(2) अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि उनके अंचल अंतर्गत प्रारंभ होने वाले विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होने के साथ ही सरकारी/लोक भूमि की सूची उपलब्ध करा दें एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भी अंचलाधिकारियों के स्तर से प्राप्त कर ली जाय कि सभी सरकारी/लोक भूमि की सूची उपलब्ध करा दी गई है तथा उसके अतिरिक्त कोई सरकारी भूमि उनके क्षेत्र अंतर्गत नहीं है।

(3) इस संबंध में यह भी आवश्यक है कि अपने क्षेत्र अतंर्गत सभी सरकारी विभागों / उपक्रमों तथा बोर्डो – निगमों के पदाधिकारियों को आपके स्तर से निदेशित किया जाय कि वे अपने स्तर से भी भूमि की सूची विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करेंगे ताकि सरकार का हित अक्षुण्ण रखा जा सके।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग